

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2018/00503

दिनांक 24.05.2018

सेवा में,

श्री सत्यनारायण शिवप्रसाद उपाध्याय,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विधि एवं न्याय मंत्रालय को संबोधित आपका दिनांक 13.08.2018 का आर.टी.आई. आवेदन जिसके माध्यम से आपने केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष अपील करने, सुनवाई एवं आदेश दिए जाने की भाषा के संबंध में जानकारी मांगी थी, जिसे विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा दिनांक 08.05.2018 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) को तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) द्वारा दिनांक 10.05.2018 को केन्द्रीय सूचना आयोग को अग्रसारित किया गया तथा जो दिनांक 15.05.2018 को केन्द्रीय सूचना आयोग में डायराईज हुआ (डायरी सं. 130879) तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 16.05.2018 को प्राप्त हुआ से संबंधित सूचना निम्नांकित है:-

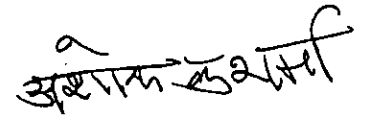
आपके आवेदन के संबंधित सूचना प्रदान करने हेतु श्री पियुष अग्रवाल, पंजीयक, केन्द्रीय सूचना आयोग से सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (4) के तहत सहायता ली गई, जिसके प्रतिउत्तर में श्री पियुष अग्रवाल, पंजीयक द्वारा सूचित किया गया कि आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना, सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के नियम 6 में उल्लेख किया गया है, जिसे आवेदक को उपलब्ध कराई जा सकती है ।

तदुसार, सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की वह पृष्ठ जिसमें अधिनियम की धारा 6 का उल्लेख किया गया है, की सत्यापित प्रति इस सूचना के साथ संलग्न है । आवेदक चाहें तो विस्तृत जानकारी हेतु सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 जो वेबसाइट की लिंक <http://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf> सहित इंटरनेट में आसानी से उपलब्ध है, का अवलोकन कर सकते हैं ।

इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना से संबंधित अन्य कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 दूरभाष नं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।

संलग्नक - यथोपरि ।



(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष - 011-26172690

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर, यथास्थिति, केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए, पदामिहित करेगा :

परंतु यह कि जहां सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन, यथास्थिति, किसी केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहां धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में पांच दिन की अवधि जोड़ दी जाएगी ।

(3) यथास्थिति, प्रत्येक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करेगा ।

(4) यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा, जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

(5) कोई अधिकारी, जिसकी उपधारा (4) के अधीन सहायता चाही गई है, उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा ।

6. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध—(1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या उस क्षेत्र की, जिसमें आवेदन किया जा रहा है, राजभाषा में ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए,—

(क) संबंधित लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ;

(ख) यथास्थिति, केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, को, उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा :

परंतु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, वहां, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी व्यक्तिगत सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके ।

(2) सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को, सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हों, देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

(3) जहां, कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है,—

(i) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है ; या

(ii) जिसकी विषय-वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है, वहां, वह लोक प्राधिकारी, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचना देगा :

परंतु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

अशोक कुमार

ASHOK KUMAR BISARMA
Coparent (RTI Cell)
Central Information Commission
B-20, Sector 10, Connaught Place,
New Delhi-110067